न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–475/2018–19

अमित कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3

आदेश

12/7/24

आवेदक अमित कुमार, पिता–अरूण यादव, साकिन–तेलौछ, पोस्ट–फर्रेह, थाना–चौथम, जिला–खगड़िया ने टेम्पु वाहन संख्या–BR34P-4739 जो उत्पाद वाद सं0–141सी0/2018 धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जप्त किया गया है को विमुक्त कराने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। जिस आलोक में वाद संस्थित करते हुए उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया से प्रतिवेदन/प्रस्ताव की मांग की गयी। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेखबद्ध है।

आवेदक अमित कुमार ने अपने आवेदन में कथन किया है कि उत्पाद वाद सं0–141–C3/2018 में जप्त टैम्पु वाहन संख्या– BR34P-4739 के स्वामी है तथा यह गाड़ी व्यवसायिक रूप में लोगों के सामान ढोने में उपयोग किया जाता है। अतः उपरोक्त आधार पर जप्त वाहन को मुक्त करने का अनुरोध किया गया और दिनांक–28.01.21 को आवेदन दाखिल कर यह भी कथन किया है कि जप्त टैम्पु उनके नाम से है परन्तु प्राथमिकी के अनुसार जप्त टैम्पु में अभियुक्त राजन कुमार यादव के पास से देशी शराब बरामद किया गया। जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं थी। गाड़ी के जप्त होने के कारण आवेदक को अपूर्णीय क्षति हुई है। इसलिए जप्त टैम्पु को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया ने आवेदक का कथन का विरोध करते हुए कथन किये है कि जप्त गाड़ी से 80 लीटर ताड़ी बरामद किया गया जो शराब व्यवसायिक श्रेणी में आता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाय।

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है।

Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

किया गया है।

Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.-** Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act-

(a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–56 में अधिहरण की जा सकने वाले सामानों का उल्लेख किया गया है :–

(क) कोई ऐसा मादक द्रव्य, शराब सामग्री, भभका (स्टिल), बर्तन, औजार, उपकरण जिसकी बाबत या जिससे यह अपराध किया गया हो;

(ख) खंड (क) के अधीन अधिहरण के भागी किसी मादक द्रव्य के अलावे या के साथ गैर कानूनी ढ़ंग से आयात की गयी, ढ़ोयी गयी विनिर्मित की गयी, बेची गयी या लायी गयी कोई नषीली वस्तु या शराब;

(ग) कोई पात्र, पैकेज या आवरक जिसमें खंड (क) या खंड (ख) के अधीन अधिहरण की भागी कोई वस्तु पायी जाती हो और ऐसे पात्र, पैकेज या आवरक की अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो;

(घ) उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन;

(ङ) कोई परिसर या उसका कोई हिस्सा जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के भंडारण अथवा विनिर्माण के लिए अथवा किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग में लाया गया हो।

उभय पक्षों के कथन एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्राथमिकी एवं जप्ती सूची का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि जप्त टैम्पु वाहन सं0–BR34P-4739 से नीला रंग के प्लास्टिक का 2 गैलन में 80 लीटर ताड़ी बरामद किया गया तथा जप्त ताड़ी की मात्रा व्यवसायिक उपयोग की श्रेणी में आता है। जो व्यापारिक उदेश्य प्रमाणित किए जाने हेतु प्रर्याप्त आधार है। अतः ऐसी स्थिति में जप्त गाड़ी को मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेशों में भी निदेशित है कि बरामद शराब की व्यापारिक मात्रा को देखते हुए जप्त वाहन का राजसात किया जाए। अतः निम्न आदेश दिया जाता है:–

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

1.इस अपराध में प्रयुक्त टैम्पु वाहन निबंधन संख्या– BR34P-4739 जप्त कर महेशखूंट थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 (संशोधित अधिनियम– 2018) की धारा– 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2.**जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया** को निदेश दिया जाता है कि वे महेशखूंट थाना में टैम्पु वाहन निबंधन संख्या– BR34P-4739 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे।

3.**अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/थानाध्यक्ष महेशखूंट थाना को भेजें। तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
–सह–
अपर जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

10/7/24

ज्ञा० सं० 368 / दिनांक 10/7/24

प्रतिलिपि - उत्पाद आयुक्त, बिहार पटना / पुलिस अधीक्षक खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक खगड़िया / जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / थानाध्यक्ष महेशखूंट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11/7

अपर समाहर्ता
खगड़िया